न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

मिसल न0– 27 /2022

अनवान :–

1. शेराराम पुत्र खेताराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अभिभाषक, सायल

निर्णय दिनांक : 29/09/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 केएम में 15.218हैक भूमि शेराराम पोखरराम चिमनाराम पि0 खेताराम बहिब 3/4 हिस्सा प्रभूराम रामप्रताप पि0 हंसराज बहिब 1/4 हिस्सा के मश्तरका खातेदार काश्तकार थे जिन्होने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया व खाता विभाजन में सभी काश्तकारो की भूमि को रास्ता से जोडा गया था।

रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक में से 1–1 बिश्वा है खाता विभाजन में सहमती में सभी ने रास्ता के लिए छोडी थी जो मोके पर सायल शेराराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज व रास्ता के उपयोग में काम आ रही है एव यही रास्ता खाता विभाजन में सहमती से तय किया गया था जो मौके पर चालु है एवं हमेशा से इसी रास्ता से आवागमन होता है।

रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक में से 1–1 बिश्वा भूमि खाता विभाजन में सहमती से सभी ने रास्ता के लिए छोडी थी जो मौके पर सायल के नाम खातेदारी दर्ज है जिसे सायल गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज करवाने का अधिकारी है ताकि आगे परिवार में रास्ता के सम्बध में कोई विवाद नही हो सके।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक में से 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल की और से पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की सायल अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहता है जिंसके सम्बध में प्रतिवादी/उतरदाता को कोई ऐतराज नही है राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्ष को सुना गया ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 केएम में 15.218हैक भूमि शेराराम पोखरराम चिमनाराम पि0 खेताराम बहिब 3/4 हिस्सा प्रभूराम रामप्रताप पि0 हंसराज बहिब 1/4 हिस्सा के मश्तरका खातेदार काश्तकार थे जिन्होने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया व खाता विभाजन में सभी काश्तकारो की भूमि को रास्ता से जोडा गया था।

रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक में से 1–1 बिश्वा है खाता विभाजन में सहमती में सभी ने रास्ता के लिए छोडी थी जो मोके पर सायल शेराराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज व रास्ता के उपयोग में काम आ रही है एव यही रास्ता खाता विभाजन में सहमती से तय किया गया था जो मौके पर चालु है एवं हमेशा से इसी रास्ता से आवागमन होता है।

Scanned with OKEN Scanner

रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक्ट में से 1–1 बिश्वा भूमि खाता विभाजन में सहमती से सभी ने रास्ता के लिए छोडी थी जो मौके पर सायल के नाम खातेदारी दर्ज है जिसे सायल गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज करवाने का अधिकारी है ताकि आगे परिवार में रास्ता के सम्बध में कोई विवाद नही हो सके।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक्ट में से 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते की रूप में दर्ज करवाना चाहते है जिसके सम्बध में पेरोकार राज को ऐतराज नही है राज्यहकों को सुरक्षित रखा जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में सयुक्त खाते में दर्ज थी जिसका आपसी सहमति से रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन हक हिस्सा के अनुसार किया गया था जिसमें आपसी सहमति से प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक्ट भूमि को सभी काश्तकारों को अपने अपने हिस्से की भूमि में आने जाने के लिये रास्ते रूप में छोडा गया था तथा वर्तमान में उक्त भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसे रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है।

सायल जिस भूमि मे से रास्ता चाहता है वह सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है सायल स्वय ने स्वीकार किया है कि पूर्व में भूमि सयुक्त खाते में दर्ज थी जिसका आपसी सहमति से खाता विभाजन करते समय उक्त भूमि को रास्ते के रूप में छोडा गया था जो वर्तमान मे सायल के नाम दर्ज है किन्तु रास्ते के उपयोग में आ रही है सायल स्वय अपनी खातेदारी भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है।

सायल जो प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक्ट भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु उक्त भूमि रास्ते के रूप में उपयोग होने के कारण उक्त भूमि को रास्ते के रूप में इन्द्राज करवाना चाहता है।

सायल स्वय अपनी भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है जिसके सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की सहमति पेश की गई है सायल स्वय द्वारा अपनी भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई हानी नही होती है

अतः सायल स्वय अपनी भूमि में से रास्ता स्वीकार करवाने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक्ट भूमि में 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 2022 / 3115 दिनांक 29/09/22

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 27 सन 2022 निर्णय दिनांक – 29/09/2022

अनवान :– अनवान :–

1. शेराराम पुत्र खेताराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 14/2 की 0.0130 ,15/3 की 0.0120 ,18/2 की 0.0130 ,19/2 की 0.0130हैक्ट भूमि में 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता तदाउपरान्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner